संलग्नक-(5)

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा –26 ए के अन्तर्गत घोषणा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–18 की उप धारा--1 के आधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा विज्ञप्ति संख्या 3782/14–3–57/84 दिनांक 30–7–1986 द्वारा वन्य जीवों और उनके पर्यावरण संरक्षण संवर्धन एवं विकास के प्रयोजन के लिये, पर्याप्त पारिस्थितिक प्राणिजात, पदपजात, भू आकृतित्व प्राकृतिक और प्राणि तत्वीय महत्व के कुल 2073 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र को एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था जिसका नाम हरितनापुर अभ्यारण्य रखा गया।

मुज़फ़्फ़रनगर जनपद में इस हरितनापुर अभ्यारण्य में पड़ने वाली सीमायें निम्न प्रकार हैं:–

(1) उत्तर – ग्राम बेलड़ा (मुज़फ़्फ़रनगर) से गंगा नदी तक कच्चा किन्तु स्थायी मार्ग होकर बिजनौर जिले में कच्चा मार्ग होकर गंगा नदी सुमेरा कलाँ तक सुमेरा कलाँ से पक्का मोटर मार्ग होकर गण्डावर तक।

(2) पूर्व – बिजनौर जिले की सीमा तक।

(3) दक्षिण – जनपद मेरठ से मिलने वाली सीमा तक।

(4) पश्चिम – गौरनपुर शाखा नहर के साथ साथ रामराज से ककरौली तक तथा ककरौली से पक्की सड़क द्वारा मोरना तथा मोरना से बेलड़ा और रजवहे तक।

शासनादेश संख्या 3734/14–96–078/95 दिनांक 27–11–96 में निहितप्राविधानों के अनुसार एवं जिलाधिकारी, मुज़फ़्फ़रनगर के कार्यालय पंत्राक 829 दिनांक 2–9–1997 द्वारा हरितनापुर वन्य जीव विहार के अर्न्तगत दावे प्रस्तुत करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी तथा जिलाधिकारी, मुज़फ़्फ़रनगर के आदेश संख्या 1061/एस0 टी0 प्रशासन दिनांक 10–9–1997 द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुज़फ़्फ़रनगर को शेष कार्यवाही करने हेतु जनहित में अन्तरित किया गया। विज्ञप्ति में दावे प्रस्तुत करने हेतु दो माह का समय दिया गया। यह अवधि दिनांक 2–11–1997 को समाप्त हो चुकी है। इस अवधि में कृषकों द्वारा अपनी निजी भूमि सम्बन्धी दावे प्रस्तुत किये गये। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इन दावों की भली भांति समीक्षा की गयी तथा हरितनापुर वन्य जीव विहार, मुज़फ़्फ़रनगर के सम्बन्ध में निजी काश्त के दावों को स्वीकृत करते हुए तथा उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 8027/14–2–99–187/53 दिनांक 7–12–99 के निर्देश के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पंत्राक 3797/14–10 दिनांक 10–3–2000 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त

अधिनियम की धारा–26 के अन्तर्गत निम्न प्रकार संशोधित घोषणा की जाती है:–

हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमायें वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 18 से 25 तक पूर्ण कार्यवाही करने के बाद निम्न प्रकार से होगी।

(क) उत्तर – ग्राम बेलड़ा (मुजफ्फरनगर) से गंगा नदी तक कच्चा किन्तु स्थायी मार्ग होकर बिजनौर ज़िले में कच्चा मार्ग होकर गंगा नदी सुमेरा कलाँ तक, सुमेरा कलाँ से पक्का मोटर मार्ग होकर मण्डावर तक।

(ख) पूर्व – बिजनौर ज़िले की सीमा तक।

(ग) दक्षिण – जनपद मेरठ की सीमा तक।

(घ) पश्चिम– मीरनपुर शाखा नहर के साथ–साथ समरास से ककरौली तक तथा ककरौली से पक्की सड़क द्वारा मोरना और मोरना से बेलड़ा और रजवाहे तक।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश संख्या 4301/14–4–97–782/97 दिनांक 13–11–97 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या 4396/14–4–97–852/97 दिनांक 20–11–97 के द्वारा सभी दावों को निपटाते हुए हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अर्न्तगत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के विकास हेतु निजी काश्तकारों की भूमि को छोड़ते हुए जलमग्न भूमि अभ्यारण्य की सीमा में पड़ने वाली ग्रामसभा की भूमि तथा अन्य सरकारी भूमि को सम्मिलित करने के आदेश जारी किये हैं। अतः अधोहस्ताक्षरी घोषणा करते हैं कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अर्न्तगत वर्तमान में केवल ग्रामसभा/राजकीय भूमि एवं जलमग्न भूमि के अतिरिक्त निजी काश्तकारों की भूमि नहीं ली जायेगी।

(3) ग्राम शुक्रताल बाँगर के खसरा नं0 402 में 2,0243 हैक्टर क्षेत्र जो शासनादेश संख्या 2002/14–ख–187/53 दिनांक 11–6–70 के द्वारा शुकदेव आश्रम सेवा समिति को लीज पर दिया गया है, को हस्तिनापुर अभ्यारण्य की सीमा से बाहर किया जाता है। उपरोक्त 2.0243 हैक्टर क्षेत्र को हस्तिनापुर अभ्यारण्य की सीमा से बाहर किये जाने से वन्य जन्तुओं के वास स्थल प्रबन्धन में कोई कठिनाई नहींआयेगी जो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 4480/26–11 दिनाक 16–5–2000 से भी स्पष्ट है।

(4) इस अभ्यारण्य के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर जनपद में आने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैं:–

1–	जलमग्न भूमि	–	22.11 वर्ग कि0मी0
2–	अन्य ग्राम समाज की भूमि	–	10.34 वर्ग कि0मी0
3–	राजकीय भूमि		
	(क) आरक्षित वन भूमि	–	20. 44 वर्ग कि0मी0
	(ख) वन विभाग की धारा–4 व निहित (अमलदरआमद) भूमि	–	29.77 वर्ग कि0मी0
	(ग) सिचाई विभाग की भूमि		3.15 वर्ग कि0मी0
		योग	101.-.01 वर्ग कि0मी0

(3) संरक्षित वन -

(क) स्टेट हाईवे -12 :- मोरना से जनपद बिजनौर की सीमा तक दोनों पटरियाँ ।

(ख) स्टेट हाईवे-47 :- सामरवा-मीरापुर-कैली रजवाहे से जनपद बिजनौर की सीमा तक दोनों पटरियाँ ।

(4) मध्य गंगा नहर- मध्य गंगा नहर की बिजनौर बैराज से मेरठ जनपद की सीमा तक दोनों पटरियाँ ।

(ए०के०सिंह)
अधिकृत प्राधिकारी एवं
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, प्रभाग,
मुजफ्फरनगर ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक 5157 / मु०च० दिनांक, मुजफ्फरनगर 20-5-2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।

2- प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ ।

3- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ ।

4- मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० बरेली ।

5- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ।

6- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर ।

7- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल पशु विहार परियोजना, आगरा ।

8- प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ, गाजियाबाद, ज्योतिबा-फूलेनगर एवं बिजनौर ।

9- उप निदेशक सूचना, मुजफ्फरनगर ।

10- वन क्षेत्राधिकारी, मोरना एवं जानसठ ।

(ए०के०सिंह)
अधिकृत प्राधिकारी एवं
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर ।